भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3945
उत्तर देने की तारीख 19.12.2024

आरएएमपी योजना

†**3945. श्री जी. एम. हरीश बालयोगीः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में उत्पादकता को बढ़ाना और गति लाना (आरएएमपी) योजना के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है और इसके आरंभ से लेकर अब तक लाभार्थियों की संख्या का राज्यवार और वर्षवार, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के संदर्भ में ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के आरंभ से अब तक इसके अंतर्गत संस्वीकृत और उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार और वर्षवार, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के संदर्भ में ब्यौरा क्या है; और

(ग) एमएसएमई-टीम पहल के प्रारंभ से अब तक इसके अंतर्गत ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म (ओएनडीसी) से जुड़ने वाले एमएसएमई की संख्या का राज्यवार और वर्षवार, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के संदर्भ में ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): विश्व बैंक द्वारा समर्थित केंद्रीय क्षेत्र स्कीम 'एमएसएमई कार्यनिष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैंप) का उद्देश्य (i) एमएसएमई मंत्रालय की मौजूदा स्कीमों जैसे एमएसएमई चैंपियंस स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) आदि के प्रभाव को बढ़ाना और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावित रणनीतिक निवेश योजनाओं में प्रस्तावित चयनित परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान प्रदान करके केंद्र-राज्य सहयोग को बढ़ाना है। आंध्र प्रदेश सहित, रैंप के लाभार्थियों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख): दिनांक 31.3.2024 तक आंध्र प्रदेश सहित, रैंप स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग): एमएसएमई टीम पहल का शुभारंभ, जून 2024 में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अपने बाजारों के विस्तार के लिए ई-कॉमर्स अपनाने में सहायता करने के लिए किया गया था। एमएसएमई टीम पोर्टल का लक्ष्य 500000 एमएसई को अपने पोर्टल पर पंजीकरण करने में सहायता करना है।

***

अनुबंध-I

दिनांक 19.12.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3945 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क. **सीजीटीएमएसई द्वारा सहायता-प्राप्त महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, वर्ष-वार संख्या तथा ट्रेड्स पर पंजीकृत एमएसएमई की संख्या**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सीजीटीएमएसई के अंतर्गत महिला गारंटी की संख्या			ट्रेड्स के अंतर्गत पंजीकृत एमएसएमई की संख्या		
		वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	495	600	325	6	29	8
2	**आंध्र प्रदेश**	**237520**	**79938**	**47022**	**439**	**742**	**959**
3	अरुणाचल प्रदेश	935	981	995	2	6	6
4	असम	21195	34556	43698	88	200	185
5	बिहार	42360	113262	73707	224	485	438
6	चंडीगढ़	1706	2459	1439	24	51	60
7	छत्तीसगढ	17733	25845	20647	269	609	653
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	505	1039	562	36	85	77
9	दिल्ली	21458	35127	22225	1,392	2,024	1,886
10	गोवा	2826	4947	3234	73	91	36
11	गुजरात	43336	106073	52116	1,556	2,779	2,633
12	हरियाणा	30343	48455	31564	884	1,393	1,724
13	हिमाचल प्रदेश	14898	20600	14029	102	153	169
14	जम्मू एवं कश्मीर	51431	53295	31093	34	112	166
15	झारखंड	21090	34800	24494	238	371	498
16	कर्नाटक	53766	135959	86131	1,425	2,152	1,958
17	केरल	25761	45515	31127	182	390	259
18	लद्दाख	467	637	503	0		
19	लक्षद्वीप	25	7	21	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	50289	75023	44128	515	1,132	1,452
21	महाराष्ट्र	66055	129892	87390	3,088	4,949	4,826
22	मणिपुर	2268	1580	1115	6	5	4
23	मेघालय	1410	1693	1604	1	8	6
24	मिजोरम	1032	1232	1025	4	4	-
25	नागालैंड	1813	1563	1084	1	1	5
26	ओडिशा	34081	56392	35701	253	550	568
27	पुदुचेरी	1087	2418	1961	28	42	24
28	पंजाब	49720	81259	47919	474	546	555
29	राजस्थान	72391	85848	44996	973	2,085	2,302
30	सिक्किम	765	1108	1116	-	29	8
31	तमिलनाडु	61883	113815	82365	2,074	3,298	2,277
32	तेलंगाना	29792	41940	32761	792	1,874	1,769
33	त्रिपुरा	3845	6523	4829	10	21	7
34	उत्तर प्रदेश	130769	247258	160706	1,103	2,778	2,670
35	उत्तराखंड	16296	26361	12846	162	241	211
36	पश्चिम बंगाल	54440	106073	83179	1,035	1,637	1,768
	कुल	**1165786**	**1724073**	**1129657**	**17,493**	**30,872**	**30,167**

ख. जेड और लीन स्कीमों के माध्यम से लाभान्वित एमएसएमई की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

		2022-23		2023-24		2024-25	
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**जेड प्रमाणित**	**लीन बेसिक पंजीकृत**	**जेड प्रमाणित**	**लीन बेसिक पंजीकृत**	**जेड प्रमाणित**	**लीन बेसिक पंजीकृत**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	0	0	0	0	1
2	**आंध्र प्रदेश**	**19**	**2**	**5680**	**760**	**2926**	**486**
3	अरुणाचल प्रदेश	0	1	0	3	0	1
4	असम	11	3	1675	162	826	59
5	बिहार	54	26	16017	1280	4270	1202
6	चंडीगढ़	0	0	682	1	18	1
7	छत्तीसगढ	10	1	1924	50	627	110
8	दिल्ली	35	5	867	95	326	58
9	गोवा	7	1	10	1	1	31
10	गुजरात	125	35	38382	791	12875	3229
11	हरियाणा	135	11	11207	1151	2341	307
12	हिमाचल प्रदेश	96	1	914	31	668	38
13	जम्मू और कश्मीर	8	2	771	133	1301	195
14	झारखंड	26	5	1670	140	158	101
15	कर्नाटक	434	25	33869	355	9044	585
16	केरल	52	32	2419	363	616	211
17	लद्दाख	2	0	4	0	2	0
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	26	7	7359	698	3091	975
20	महाराष्ट्र	328	45	10278	927	5380	949
21	मणिपुर	2	1	1	0	1	0
22	मेघालय	0	1	1	3	0	7
23	मिजोरम	0	0	0	0	0	11
24	नागालैंड	2	0	0	0	17	28
25	ओडिशा	62	2	847	167	119	172
26	पुदुचेरी	10	0	170	19	41	29
27	पंजाब	597	4	9414	455	4321	196
28	राजस्थान	94	12	8299	721	6160	189
29	सिक्किम	0	0	1	0	0	0
30	तमिलनाडु	794	27	7559	867	920	2070
31	तेलंगाना	30	9	2436	53	1165	102
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	13	0	13	19	129	26
33	त्रिपुरा	0	0	229	0	30	1
34	उत्तर प्रदेश	89	24	9818	878	8497	1046
35	उत्तराखंड	17	2	516	178	169	23
36	पश्चिम बंगाल	80	32	3286	584	1457	516
	समग्र योग	**3160**	**316**	**176318**	**10885**	**67496**	**12955**

ग. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुमोदित क्रियाकलापों के माध्यम से लाभान्वित एमएसएमई की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्थापना के बाद से कुल लाभान्वित एमएसएमई
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य
2	**आंध्र प्रदेश**	**2,54,625**
3	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
4	असम	25,238
5	बिहार	4,297
6	चंडीगढ़	शून्य
7	छत्तीसगढ	शून्य
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	शून्य
9	दिल्ली	शून्य
10	गोवा	शून्य
11	गुजरात	शून्य
12	हरियाणा	शून्य
13	हिमाचल प्रदेश	शून्य
14	जम्मू एवं कश्मीर	शून्य
15	झारखंड	शून्य
16	कर्नाटक	1,030
17	केरल	260
18	लद्दाख	शून्य
19	लक्षद्वीप	शून्य
20	मध्य प्रदेश	649
21	महाराष्ट्र	22,015
22	मणिपुर	शून्य
23	मेघालय	1,300
24	मिजोरम	19,864
25	नागालैंड	227
26	ओडिशा	2,551
27	पुदुचेरी	शून्य
28	पंजाब	शून्य
29	राजस्थान	शून्य
30	सिक्किम	1,169
31	तमिलनाडु	1,656
32	तेलंगाना	0शून्य
33	त्रिपुरा	350
34	उत्तर प्रदेश	18,544
35	उत्तराखंड	शून्य
36	पश्चिम बंगाल	13,82,744
	कुल	**17,36,519**

अनुबंध II

रैंप के अंतर्गत राज्यों को स्वीकृत और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	कुल स्वीकृत अनुदान	व्यय (31.03.2024)
1.	अंडमान और निकोबार	46,18,00,000	0
2.	आंध्र प्रदेश	1,12,07,00,000	*10,47,58,404
3.	अरुणाचल प्रदेश	62,59,00,000	0
4.	असम	94,66,00,000	77,67,808
5.	बिहार	1,40,74,00,000	92,33,897
6.	चंडीगढ़	48,07,00,000	0
7.	छत्तीसगढ	71,92,00,000	0
8.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	5,00,00,000	0
9.	दिल्ली	5,00,00,000	0
10.	गोवा	66,57,00,000	71,07,477
11.	गुजरात	1,22,65,00,000	1,59,18,050
12.	हरियाणा	1,40,17,00,000	2,32,84,722
13.	हिमाचल प्रदेश	1,14,34,00,000	1,39,15,000
14.	जम्मू और कश्मीर	71,63,00,000	0
15.	झारखंड	75,07,00,000	0
16.	कर्नाटक	1,23,72,00,000	87,67,373
17.	केरल	1,12,71,00,000	92,53,622
18.	लद्दाख	5,00,00,000	0
19.	लक्षद्वीप	5,00,00,000	0
20.	मध्य प्रदेश	1,10,36,00,000	71,43,041
21.	महाराष्ट्र	1,94,49,00,000	2,14,93,788
22.	मणिपुर	5,00,00,000	0
23.	मेघालय	49,80,40,000	1,66,61,551
24.	मिजोरम	42,36,00,000	1,55,93,502
25.	नागालैंड	57,02,00,000	1,09,74,000
26.	ओडिशा	62,34,00,000	1,66,34,431
27.	पुदुचेरी	36,98,00,000	0
28.	पंजाब	1,25,35,00,000	86,86,743
29.	राजस्थान	1,19,80,00,000	70,192
30.	सिक्किम	79,74,00,000	57,17,095
31.	तमिलनाडु	1,69,13,00,000	23,55,229
32.	तेलंगाना	1,22,35,00,000	47,21,747
33.	त्रिपुरा	70,17,00,000	0
34.	उत्तर प्रदेश	1,58,63,00,000	3,48,73,729
35.	उत्तराखंड	88,05,00,000	90,428
36.	पश्चिम बंगाल	89,00,00,000	59,95,830
	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**30,03,66,40,000**	**35,10,17,659.00**

* इस राशि में से, 9 करोड़ रुपये अक्टूबर 2024 में आंध्र प्रदेश एमएसएमई विकास निगम द्वारा भारत कोष में वापस जमा कर दिए गए हैं।